राजकीय कला कन्या महाविद्यालय , कोटा

विवरणिका 2024-25

प्राचार्य एवं संरक्षक
प्रो. (डॉ) सीमा चौहान

संपादन एवं संयोजन
श्रीमती सपना कोतरा
प्रो0 हिमानी सिंह

तकनीकी संयोजन
सुश्री अर्चना सहारे

http://www.hte.rajasthan.gov.in/college/ggcakota

girlsartskota@gmail.com
Near Antaghar Circle Nayapura Kota

प्राचार्य सन्देश

हाड़ौती अंचल की हृदय स्थली, चर्मण्यवती नदी के किनारे स्थित कोटा नगरी के सबसे भव्य राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा में सत्र 2024-25 में प्रवेश लेने वाली छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन करती हूँ।

विद्यालयी शिक्षा का महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर आप विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्ति हेतु जिस महाविद्यालय परिवार की सदस्य बनने जा रही हैं उसने राजस्थान के उच्च शिक्षा संस्थानों में न केवल छात्र संख्या के आधार पर अपितु गुणात्मक श्रेष्ठता की दृष्टि से भी मात्र आठ वर्षों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है।

आज आप विद्यालयी अनुभवों के छोटे -छोटे पंखों में हौसलों की उड़ान लिए हुए महाविद्यालय प्रवेश की देहरी पर खड़ी हैं, इस समय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत व्यापक स्तर पर प्रशासनिक और शैक्षणिक परिवर्तन किये जा रहे हैं। इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के क्रम में शिक्षा प्रणाली में नये आयामों को सम्मिलित करना मेरी प्राथमिकता होगी, जिससे आप वैश्विक गगन में अपनी सफलता का परचम लहरा सके और आपके हौसलों की उड़ान धरातल से नभमण्डल तक की सीमाओं पर स्वयं को साबित कर सकें।

नवीन प्रवेशित छात्राओं की जिज्ञासा और ज्ञानपिपासु वृत्ति को यहाँ के प्रतिभाशाली, प्रेरणास्पद और परिपक्व शिक्षकों के श्रेष्ठतम मार्गदर्शन द्वारा परितृप्त किया जाता है। युवा वर्ग को अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से जोड़ने का प्रयास करने के साथ ही स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कौशल विकास के साथ-साथ रोजगारोन्मुखी शिक्षा के लिए यहाँ के शिक्षक कृतसंकल्प हैं।

महाविद्यालय में वर्षपर्यन्त आयोजित होने वाली सांस्कृतिक , साहित्यिक तथा सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ छात्राओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारने के साथ -साथ उन्हें ऐसा मंच उपलब्ध करवाती है जहाँ वे अपनी प्रतिभा को विकसित कर सके। उनमें स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और आत्मगौरव का

भाव तो जाग्रत हो ही, साथ ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करते हुए वे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर समस्याओं के समाधान का मार्ग भी खोज सकें।

सांस्कृतिक प्रदूषण के इस संक्रमित काल में यहाँ की छात्राओं को सुरक्षा प्रदान कर सही दिशा -निर्देश देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसमें सहयोग देने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली प्रत्येक छात्रा का मैं आह्वान करती हूँ कि वे यहाँ की स्वस्थ व शालीन परम्पराओं का निर्वाह करें क्योंकि किसी भी महाविद्यालय की गरिमा और पहचान उसके विद्यार्थियों से ही होती है। महाविद्यालय आपके व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण का तपोवन है। आप सही रूप में यहाँ से 'मानव' बनकर निकलें यहीं इसकी सार्थकता है।

आशा करती हूँ कि इस मिशन में अभिभावक भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपनी जागरूकता का परिचय देंगे और महाविद्यालय की सर्वाधिक समर्थ और सशक्त कड़ी के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। यह महाविद्यालय प्रबुद्ध अभिभावकों/ संरक्षकों के अमूल्य सुझावों का सदैव स्वागत करता है।

किसी भी संस्थान का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना अति आवश्यक है। महाविद्यालय का विकास एवं लक्ष्यों की प्राप्ति प्राचार्य की सकारात्मक और विकासात्मक सोच पर पूर्णतः निर्भर करती है। मैं आप सभी को आशान्वित करती हूँ कि महिला शिक्षा की सतत् प्रगति में नवीन आयाम स्थापित करना मेरी प्राथमिकता होगी जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।

जीवन मूल्यों में नवाचारों का समावेश करने हेतु कटिबद्ध यह महाविद्यालय आपके उज्ज्वल और सुखद भविष्य की कामना करता है।

डॉ सीमा चौहान
प्राचार्य
राजकीय कला कन्या महाविद्यालय,
कोटा

हमारा महाविद्यालय: एक परिचय

महिला शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, राजस्थान का अग्रणी महाविद्यालय है। नैसर्गिक सौन्दर्य से ओतप्रोत यह महाविद्यालय सन् 1958 में स्नातक तथा सन् 1992 से स्नातकोत्तर कला संकाय के रूप में स्थापित हुआ। वर्तमान में 17 विषयों में स्नातक तथा 09 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षायें सुचारू रूप से संचालित हैं। 10 मई 2016 से पूर्व इस महाविद्यालय का नाम जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय था परन्तु 10 मई 2016 में आयुक्तालय के आदेश को आधार मानते हुए नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय स्थापित हुआ जिसका नाम अब राजकीय कला कन्या महाविद्यालय है , जो वर्तमान में पैतृक महाविद्यालय जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्या लय के परिसर में ही सचांलित है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद भी निरन्तर सफलता के आयामों को छूते हुए महिला शिक्षा के क्षेत्र में विकास की ओर अग्रसर हैं।

महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा एवं व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु वातावरण उपलब्ध करवाना है। संस्थागत विकास हो अथवा संसाधनो की उपलब्धि, महाविद्यालय तीव्र गति से गुणात्मक एवं उच्च मापदण्डों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।

महाविद्यालय में प्राध्यापकों व छात्राओं को अत्याधुनिक तकनीकी पद्धति से अध्यापन की सुविधा प्रदान करने हेतु इन्टरनेट तथा ब्रोडबैंड की सुविधा उपलब्ध है।

महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित अनुसूचित जाति/जन जाति/अन्य पिछडी जाति/अल्पसंख्यक समुदायों तथा बी.पी.एल. कार्डधारी सामान्य वर्ग की छात्राओं के लिए विशेष तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रेमेडियल कक्षाएं निःशुल्क अध्यापन करवाये जाने की व्यवस्था है, जो छात्राओं के शैक्षणिक उन्नयन में सहायक है। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक एवं स्नात्कोत्तर विषयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है , जो छात्राओं के समुचित विकास में सहायक होगी। उनकी तार्किक, बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की वृद्धि भी होगी । विभिन्न स्तरीय प्रोजेक्ट तैयार करने तथा शोध सम्बन्धी कार्य के लिए महाविद्यालय में शोध प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका लाभ विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को प्राप्त होता है।

हमारे महाविद्यालय में आने वाली अधिकांश छात्राएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं। वह अपने परिवार की प्रथम सदस्य होती है, जो कॉलेज तक का सफर तय करती हैं। हम ऐसी छात्राओं का स्वागत करते हैं और उनसे ऐसी आशा करते हैं कि वे शिक्षा को समझ कर ग्रहण करेंगी क्योकिं आगे चल कर यही बालिकांए परिवार की धुरी बनेंगी और यह शिक्षा उस समय उनके परिवार को मुख्य धारा में लायेगी। परिवार में यदि स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है।

महाविद्यालय की छात्राएं निरन्तर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर विभिन्न क्षेत्रों में शिखर पर पदस्थ है। उनके सर्वांगीण विकास हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न सह शैक्षणिक गतिविधियों का निरन्तर आयोजन किया जाता है, जिसमें खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी., रेंजरिंग, गाइडिंग, महिला अध्ययन प्रकोष्ठ, पर्यावरण प्रकोष्ठ, योजना मंच, साहित्यिक मंच, सांस्कृतिक मंच, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्नातक परिषद्, स्नातकोत्तर परिषद् एवं रोजगार व उद्यमिता संबंधी कार्यक्रमों से छात्राओं की बहुमुखी प्रतिभा का न केवल परिष्करण होता है , वरन् पुरस्कारों एवं पदक के प्रावधान से उनके उत्साह की अभिवृद्धि भी की जाती है।

हमारे महाविद्यालय परिवार में 5334 छात्राएं, 96 शोधार्थी, 41 सहायक, सह आचार्य एवं आचार्य 01 प्रशासनिक अधिकारी, 01 सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 01 सहायक लेखाधिकारी, 02 लिपिक, 02 प्रयोगशाला सहायक, 03 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिनमें आपसी सामंजस्य और वैचारिक संतुलन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की अवधारणा को चरितार्थ करता हैं।

हमारे महाविद्यालय में लगभग 42,000 पुस्तकें, विभिन्न भाषा के समाचार-पत्र, पत्रिकाएं, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जरनल्स एवं इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाने वाले आदर्श कम्पयूटरीकृत पुस्तकालय है। साथ ही इनफ्लिबनेट की सुविधा भी उपलब्ध हैं।

कोटा शहर की विभिन्न सांस्कृतिक , साहित्यिक एवं सामाजिक गतिविधियों में हमारे महाविद्यालय की छात्राओं की विशिष्ट पहचान है। समाज के प्रबुद्ध व प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा महाविद्यालय के प्रति अपने जुडाव को प्रदर्शित करते हुए प्रतिवर्ष विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभावान एवं योग्य छात्राओं को पुरस्कार व जयपात्र प्रदान किये जाते है। ज्ञान की अजस्त्र धारा के साथ -साथ अनुशासन, चारित्रिक उत्कर्ष एवं वैश्विक विकास की मुख्य धारा से छात्राओं को संयुक्त रखने में यह महाविद्यालय दृढसंकल्पित है।

सीमित भौतिक संसाधनो के बावजूद हमारा नवीनीकृत महाविद्यालय शोध , अध्ययन-अध्यापन, लेखन एवं रचनात्मकता के प्रति प्रतिबद्ध है साथ ही राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनो, संगोष्ठियों में सहभागी विद्वान, मनीषी, चिन्तक, कलाविद्, समीक्षक एवं समार्पित शिक्षाविद् प्राध्यापको के कुशल मार्गदर्शन के कारण प्रदेश में सर्वविदित व लोकप्रिय है।

प्रवेश सम्बन्धी सूचनाएँ

1. राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सहज, सुगम व पारदर्शी बनाने की दृष्टि से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम वर्ष एंव स्नात्तकोत्तर पूर्वार्द्ध में चरणबद्ध रूप से समस्त राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक पार्ट प्रथम में ऑन लाइन प्रवेश प्रक्रिया लागू है| द्वितीय , तृतीय एंव स्नातकोत्तर उत्तरार्द्ध कक्षाओं में नवीनीकरण की प्रक्रिया भी ऑनलाईन होगी|
2. आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार सत्र 2024-25 में स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध उतरार्द्ध सभी कक्षाओं के प्रवेश , ऑनलाईन होंगे| सम्बन्धित सूचनाएँ समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा महाविद्यालय सूचना पट्ट पर चस्पा होंगी|
3. कोटा विश्वविधालय, कोटा द्वारा नामांकित होने पर ही छात्रा का प्रवेश पूर्ण स्थाई माना जायेगा तथा प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार एवं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के नियमो की अनुपालना की जाएगी।
4. ऑन लाइन एडमिशन प्रोसेस विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध Admission link के द्वारा ऑन लाइन आवेदन फार्म प्रवेश कार्यक्रमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा| प्रवेश प्रक्रिया , फार्म भरने के निर्देश तथा तिथियों आदि की जानकारी प्रवेश नीति के अनुसार वेबपोर्टल पर उपलब्ध होगी|
5. ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के अर्न्तगत समस्त पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचियां - अन्तरिम/अन्तिम, महाविद्यालय के एडमिशन वेब पृष्ठ पर उपलब्ध की जाएगी |
6. महाविद्यालयों में कक्षानुसार उपलब्ध सीटों के लिए प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची वरीयता क्रम में जारी की जायेगी| प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची में से निर्धारित तिथि तक शुल्क नहीं जमा कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु , अन्य वर्णित शर्तों की पालना करते हुए द्वितीय अन्तरिम प्रवेश सूची जारी की जायेगी| निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण रिक्त रहे स्थानों की पूर्ति हेतु तृतीय अन्तरिम प्रवेश सूची तथा महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार(100, 200 एवं 300 प्रतिशत) प्रतीक्षा सूची जारी की जावेगी| फिर भी स्थान रिक्त रहने पर प्रवेशित विद्यार्थियों की चतुर्थ सूची के साथ प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकेगी|
7. प्रत्येक प्रवेश सूची मय प्रतीक्षा सूची जारी होने के पश्चात् समस्त अभ्यर्थियों को मूल अंक तालिकायें, स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की जाँच महाविद्यालय

में करानी होगी| सत्यापन के बाद ही ई-मित्र काउन्टर पर/नेट बैंकिंग/क्रेडिट कार्ड द्वारा शुल्क जमा कराना होगा|

8. प्रतीक्षा सूची में स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को भी दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर अंतरिम प्रवेश शुल्क ई-मित्र पर निर्धारित तिथि तक जमा करवाना होगा| प्रतीक्षा सूची में से शुल्क जमा करवा चुके ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रवेश नहीं हो पाता है उनके द्वारा जमा करवाया गया शुल्क महाविद्यालय द्वारा लौटा दिया जायेगा|
9. प्रत्येक विषय के वर्ग (सैक्शन) निर्धारित हैं, अतः विषयों में छात्राओं को प्रवेश वरीयता के आधार पर दिया जायेगा|
10. विषय परिवर्तन के लिए निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन बाद तक ही आवेदन मय शुल्क 200/- रूपये लिया जायेगा|
11. छात्राओं की प्रवेश सम्बन्धी सूचना हेतु महाविद्यालय द्वारा एक हैल्प डेस्क समिति गठित की गई है| कृपया उनसे नवीनतम सूचना प्राप्त कर प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करें|
12. महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी सभी नियम आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर राज. की प्रवेश नीति एवं कोटा विश्वविद्यालय कोटा नियमानुसार लागु होगें ।

नोटः-

1. प्रवेश सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम एवं समस्त सूचनाएं कॉलेज शिक्षा विभाग की वेब साइट (www.hte.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध रहेंगी|
2. महाविद्यालय में हैल्प डेस्क का गठन किया गया है, कृपया इसका लाभ उठावें|

अति आवश्यक नियम

विवरणिका में दिये गये सभी विवरणों को छात्रायें, माता-पिता एवं संरक्षक ध्यान से पढ़ें।

1. छात्राएँ प्रवेश सम्बन्धी सभी सूचनाओं के लिये महाविद्यालय सूचना पट्ट प्रतिदिन अवश्य देखें। (कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की वेबसाइट पर देखें)

2. सभी नियमित छात्राएँ अपना परिचय पत्र अवश्य बनवाएँ तथा इसे महाविद्यालय में सदैव अपने पास रखें।

3. कक्षाओं में छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, अतः कक्षाओं में नियमित रहें। आयुक्तालय के आदेशानुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाली छात्राओं की सूची प्रत्येक माह महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी एवं कॉलेज वेबसाईट पर भी उपलब्ध होगी। कृपया छात्राएं एवं अभिभावक इस सूचना से अवगत होकर उपस्थिति प्रतिशत बरकरार रखने हेतु उचित कदम उठायें। प्रतिदिन की सूचनाएं वॉट्स अप ग्रुप पर भी आवश्य देखें।

4. प्रवेश एवं तत्सम्बन्धी कार्यों के लिये छात्राएं स्वयं सम्पर्क करें। महाविद्यालय परिसर में अकारण बाहरी व्यक्तियों को साथ न लायें। महाविद्यालय का लक्ष्य छात्राओं को उत्तरदायी एवं आत्मनिर्भर बनाना है। छात्राएं स्वयं आएं अथवा अति आवश्यक होने पर महिला अभिभावक को साथ लायें।

5. छात्राएं अपने प्रवेश फार्म तथा अंकतालिकाएँ स्वयं सत्यापित करके ही लायें। नवीन प्रवेश लेने वाली छात्राओं को अपने फॉर्म के साथ अंकतालिका, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, माईग्रेशन प्रमाण पत्र, खेलकूद, एन.एस.एस., एन.सी.सी., स्काउटिंग एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि लगाना आवश्यक है। स्वयं का ही फोन नम्बर/मोबाईल नम्बर फॉर्म में अवश्य लिखें। किसी अन्य का नही।

6. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकतालिका , स्थानान्तरण प्रमाण पत्र एवं प्रव्रजन प्रमाण पत्र फीस जमा करवाने के समय जमा कर लिए जाएंगे।

7. अन्य विश्वविद्यालय की छात्राएं स्नातक द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश नहीं ले सकती हैं।

8. छात्राएं अपने वाहन छात्राओं के लिये निर्धारित स्थान पर ही रखें।

9. महाविद्यालय की स्वच्छता, सुव्यवस्था एवं अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग करें।

10. छात्राएं प्रवेश फॉर्म पर अपना बचत खाता नम्बर, IFSC कोड एवं बैंक का नाम और आधार नम्बर अवश्य अंकित करें, अन्यथा छात्रवृत्ति का भुगतान सम्भव नहीं होगा।

11. महाविद्यालय में कक्षा-कक्षों में अध्ययन के दौरान मोबाइल-फोन सर्वथा वर्जित है। अध्ययन के समय मोबाइल का प्रयोग करते पाये जाने पर प्रशासन द्वारा कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। अति आवश्यक कार्य होने पर प्राचार्य की अनुमति से छात्राएं महाविद्यालय के दूरभाष का उपयोग कर सकती हैं।

12. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कोई छात्रा रैगिंग की किसी भी घटना में लिप्त पाई गई तो उसे संस्था से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

13. छात्राएं कचरा पात्र का उपयोग करें।

नोटः उपर्युक्त सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा

प्रतिबंधित विषय समूह

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा के अनुसार बी.ए. पार्ट प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश में विषय चयन में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये नीचे दी गई सारिणी के कॉलम नम्बर-1 में वर्णित विषय के सामने कॉलम नम्बर-2 में दर्शाये गये विषय लेना प्रतिबंधित (मना) है|

कॉलम नं. 1	कॉलम नं. 2
1. अंग्रेजी साहित्य	1. पर्शिचन 2. अरेबिक
2. हिन्दी साहित्य	1. अरेबिक 2. उर्दू3. सिंधी 4. पर्शियन
3. लोक प्रशासन	1. अरेबिक 2. पर्शियन 3. संगीत 4. चित्रकला
4. इतिहास	1. गणित 2. सांख्यिकी
5. अर्थशास्त्र	1. अरेबिक 2. पर्शियन 3. संगीत 4. चित्रकला
6. राजनीति विज्ञान	1. गणित 2. सांख्यिकी
7. समाजशास्त्र	1. अरेबिक 2. पर्शियन
8. भूगोल	1. दर्शनशास्त्र 2. संगीत
9. मनोविज्ञान	1. अरेबिक 2. पर्शियन 3. चित्रकला
10. उर्दू	1. हिन्दी 2. संस्कृत 3. सिंधी 4. गणित
11. संस्कृत	1. उर्दू 2. अरेबिक
12. दर्शनशास्त्र	1. भूगोल

नोट :- हिंदी, संस्कृत व अंग्रेजी साहित्य तीनो विषय एक साथ नहीं लिये जा सकते है । तीनो प्रायोगिक विषय लेना प्रतिबंधित है

निर्धारित विषय समूह

कला संकाय में निम्नलिखित विषय उपलब्ध हैं, उपलब्ध स्थानों पर वरीयता के अनुसार विषयों का आवंटन किया जाएगा|

वैकल्पिक विषय					
समूह - 1	**समूह - 2**	**समूह - 3**	**समूह - 4**	**समूह - 5**	**समूह - 6**
संस्कृत	दर्शनशास्त्र	अंग्रेजी साहित्य	इतिहास	समाजशास्त्र	लोक प्रशासन
हिन्दी साहित्य	भूगोल	गृहविज्ञान	जी.पी.ई.एम.	राजनीति विज्ञान	चित्रकला
उर्दू	संगीत (कंठ/वाद्य)		टी.डी.पी.		
अर्थशास्त्र					
मनोविज्ञान					

नोटः- छात्राएँ प्रत्येक ग्रुप से एक विषय का चयन करते हुऐ कोई भी तीन विषय ले सकती हैं| आवेदन पत्र में सभी विषयों को वरीयता क्रम में प्राथमिकता अनुसार भरें| ध्यान दें कि इच्छित विषय में स्थान उपलब्ध न होने की स्थिति में कॉलेज प्रशासन/प्रवेश समिति द्वारा आवंटित विषय का ही अध्ययन करना होगा| जहां पाँच से अधिक विषय संयोजन हैं, कम से कम पाँच व अधिकतम सात विषय संयोजन का चयन करें|

अनिवार्य विषय- पार्ट प्रथम

1. प्रारम्भिक कम्प्यूटर अनुप्रयोग (Elementary Computer)
2. पर्यावरण अध्ययन (Environmental Studies)
3. सामान्य अंग्रेजी (General English)
4. सामान्य हिन्दी (General Hindi)

स्नातकोत्तर कक्षाएं

स्नातकोत्तर कक्षाएं (महाविद्यालय में निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं की सुविधा है)।

कला संकाय	Seats Sanctioned
1. अर्थशास्त्र (Economics)	60
2. हिन्दी (Hindi)	60
3. इतिहास (History)	60
4. संगीत (Music) (कंठ/वाद्य)	60
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)	60
6. लोक प्रशासन (Public Administration)	60
7. समाजशास्त्र (Sociology)	60
8. गृह विज्ञान (Home Science) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत	40
9. जी.पी.ई.एम. (G.P.E.M.) स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत	20

विषयवार स्वीकृत खण्ड 2024

1.	चित्रकला	Drawing and Painting	01
2.	अर्थशास्त्र	Economics	02
3.	अंग्रेजी साहित्य	English Literature	04
4.	जी.पी.ई.एम.	Garment Production and Export Management	01
5.	भूगोल	Geography	04
6.	हिन्दी साहित्य	Hindi Literature	07
7.	इतिहास	History	04
8.	गृह विज्ञान	Home Science	04
9.	संगीत(कंठ/वाद्य)	Music	01
10.	दर्शनशास्त्र	Philosophy	02
11.	राजनीति शास्त्र	Political Science	05
12.	मनोविज्ञान	Psychology	02
13.	लोक प्रशासन	Public Administration	04
14.	संस्कृत	Sanskrit Literature	02
15.	समाज शास्त्र	Sociology	09
16.	टी.डी.पी.	Textile Dyeing and Printing	01
17.	उर्दू साहित्य	Urdu Literature	01

शुल्क भुगतान सम्बन्धी सूचनाऐं

1. समस्त वार्षिक शुल्क प्रवेश के समय एक ही किश्त में लिया जायेगा| समस्त प्रवेश शुल्क E- Mitra के माध्यम से लिया जायेगा|
2. प्रवेशित शुल्क सम्बंधित सभी नियम आयुक्तालय के दिशा निर्देशानुसार रहेंगे|
3. रक्षित द्रव्य केवल नवीन प्रवेश चाहने वाली छात्राओं से ही लिया जायेगा|
4. पात्रता एवं प्रव्रजन शुल्क कोटा विश्वविद्यालय, कोटा अथवा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल, अजमेर के क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं से आनी वाली छात्राओं से नियमानुसार लिया जायेगा|
5. रक्षित द्रव्य राशि महाविद्यालय छोड़कर जाने वाली छात्राओं को जिन पर कोई बकाया नहीं है लौटा दी जायेगी|
6. महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष बाद तक छात्रा द्वारा रक्षित द्रव्य नहीं लिया गया तो उस पर महाविद्यालय का अधिकार होगा|
7. गृह विज्ञान की तीनों कक्षाओं की छात्राओं को प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री स्वयं लानी होगी|
8. पूरक परीक्षा में असफल होने वाली छात्रा को शुल्क वापस नहीं किया जायेगा|
9. छात्रवृत्ति 75% उपस्थिति होने पर ही दी जायेगी|

विकास की ओर अग्रसर

महाविद्यालय विकास समिति

नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय के त्वरित एवं बहुआयामी विकास के लिये एक महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया गया है जिसका पंजीयन नियमानुसार दिनांक 22 फरवरी 2017 को हो गया है, इसके अध्यक्ष, प्राचार्य एवं अन्य सदस्य शहर के सांसद, विधायक, प्रबुद्ध शिक्षाविद्, जिलाधीश के प्रतिनिधि, अभिभावक एवं छात्र संघ अध्यक्ष हैं| समिति की बैठक वर्ष में माह जुलाई, अक्तूबर, जनवरी और अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में सुविधानुसार किसी एक दिन आयोजित किया जाना आवश्यक है| इन बैठकों में महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर महाविद्यालय में विकास कार्य करवाये जाते हैं |

अगर आप अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहते हैं, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंसान बने रहें |

अनुशासनात्मक कार्यवाही

महाविद्यालय की प्रत्येक छात्रा से अनुशासन में रहने की अपेक्षा की जाती है , महाविद्यालय परिसर में धरने देना, नारे लगाना, अवांछनीय तत्वों को लाना, किसी भी तरह का अभद्र व्यवहार, दुराचरण, दुराग्रह, अध्ययन के प्रति उपेक्षा एवं अन्य कोई अपराध, जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को हानि हो, दण्डनीय अपराध है| अपराध की प्रवृत्ति एवं गंभीरता के अनुसार प्राचार्य को कोटा विश्वविद्यालय , कोटा की धारा 0.88 के अन्तर्गत निम्नानुसार दण्ड देने का अधिकार होगा -

(क) महाविद्यालय से कम से कम एक माह का निष्कासन|

(ख) महाविद्यालय से कम से कम 6 माह का बहिष्करण|

(ग) आगामी परीक्षा में बैठने से रोकना|

(घ) कक्षाओं में उपस्थित होने से रोकना|

(ड़) छात्रवृत्ति अथवा महाविद्यालय से मिलने वाले अन्य लाभों से वंचित कर देना|

(च) तोड़ फोड़ से हुई महाविद्यालय की क्षतिपूर्ति हेतु जुर्माना|

(छ) छात्र संघ चुनाव में भाग लेने से रोकना|

"अनुशासन ही आपके जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है।"

पुस्तकालय

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय है। वर्तमान में यह महाविद्यालय अपने नवीन भवन में ही संचालित है। इसलिए पुस्तकालय सम्बन्धी सुविधाएँ कला संकाय की छात्राओं के लिए फिलहाल पूर्ववर्ती वर्षों की भाँति ही यथावत् है।

विशेष: महाविद्यालय का पुस्तकालय राजस्थान के महाविद्यालयों में अग्रणी पुस्तकालय है , जो कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है, जिसमें लगभग 42000 से अधिक पुस्तकें हैं। पुस्तकालय से जारी की जाने वाली सभी पुस्तकें कम्प्यूटर द्वारा जारी की जाती हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपनी आवश्यकता की कोई भी पुस्तक खोजने के लिए ऑपेक टर्मिनल के कम्प्यूटर पर जाकर सम्बन्धित पुस्तक का शीर्षक , लेखक, प्रकाशक या विषय में से किसी भी एक को टाइप करके खोजा जा सकता है। खोजने के बाद उस पुस्तक की अलमारी संख्या, पुस्तक की कितनी प्रतियाँ पुस्तकालय में हैं एवं पुस्तकालय में उसकी प्रति उपलब्ध है या नहीं है? और यदि नहीं है तो किसको जारी की गई है और कब तक वापिस लौटाई जायेगी, की जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ-साथ उस पुस्तक को बुक भी कराया जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पुस्तकालय बनाने हेतु इनफ्लिबनेट एवं इन्टरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

विद्यार्थियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगाः-

1. महाविद्यालय में शुल्क जमा कराने के पश्चात् विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र लेकर पुस्तकालय में जाकर अपना फोटो खिंचवाना होगा। फोटो खिंचने के बाद ही विद्यार्थी को एक फोटो के साथ बार कोड छपा हुआ पुस्तकालय का परिचय पत्र मिलेगा , जिसे पुस्तकालय में प्रवेश के लिए दिखाना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर पर दो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर तीन पुस्तके एवं शोधार्थी को भी तीन पुस्तके जारी की जायंगी ।

2. जिन विद्यार्थियों पर पिछले वर्षों की पुस्तकें बकाया हैं , उनका नया कार्ड नहीं बनाया जायेगा।

3. पुस्तकालय से पुस्तक जारी करवाते समय अच्छी तरह से जांच कर लें| यदि क्षतिग्रस्त हो तो तुरन्त पुस्तकालय अध्यक्ष की जानकारी में लाकर संबंधित पृष्ठ पर हस्ताक्षर करवायें अन्यथा पुस्तक के क्षतिग्रस्त होने पर विद्यार्थी से उस पुस्तक की दुगुनी राशि वसूल की जायेगी|

4. पुस्तकों के पन्ने मोड़ना या उन पर नाम लिखना दण्डनीय अपराध हैं| इस प्रकार खराब की गई या खो गई पुस्तक का दुगुना मूल्य वसूल किया जायेगा|

5. पुस्तकें कम्प्यूटर से जारी होने के कारण जब तक विलम्ब शुल्क नहीं चुकाया जायेगा तब तक उस विद्यार्थी को कम्प्यूटर दूसरी पुस्तक जारी नहीं करेगा|

6. पुस्तकालय की पुस्तकों में दो स्थानों पर बार कोड सेलो टेप से चिपकाये हुये हैं| इस बार कोड के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करें क्योंकि इन बार कोड में ही पुस्तक का पूरा विवरण रिकार्ड किया हुआ है|

7. बार कोड को क्षतिग्रस्त करने पर 50/-रुपये प्रति बार कोड की दर से आर्थिक दण्ड लिया जायेगा तथा उसके बाद उस विद्यार्थी को उस सत्र में काई भी पुस्तक जारी नहीं की जायेगी|

8. परीक्षा में बैठने से पूर्व पुस्तकालय की सभी पुस्तकें जमा कराना अनिवार्य है| पुस्तकालय से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकेगा| साथ ही विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जाती है कि परीक्षा के दौरान आवश्यक पुस्तक का दुगुना मूल्य जमा करवाकर परीक्षा समाप्ति तक पुस्तक अपने पास रख सकता है किन्तु परीक्षा समाप्ति की तिथि से दो माह तक भी पुस्तक वापिस जमा नहीं होती है तो विद्यार्थी की राशि जब्त कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी|

9. कोई भी विद्यार्थी जारी कराई गई पुस्तक को अधिकतम 15 दिन तक रख सकता है| इस अवधि के बाद लौटाई गई पुस्तक पर कम से कम 1/-रुपया प्रथम 15 दिवस के लिए तथा उसके पश्चात् 0.50 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा|

10. विद्यार्थी को वांछित पुस्तक यदि किसी को जारी है तो उस पुस्तक को अग्रिम बुक करवाया जा सकता है| जब भी वह पुस्तक पुस्तकालय में जमा होगी तो पहले बुकिंग करवाने वाले विद्यार्थी को ही मिलेगी|

निम्नलिखित सामग्री/पुस्तकें पुस्तकालय से जारी नहीं की जायेंगी -

1. पाण्डुलिपियां|
2. संदर्भ ग्रन्थ|
3. दुर्लभ पुस्तकें|
4. संदर्भ कक्ष में रखी पुस्तकें पाठ्यक्रम व प्रश्न पत्र|
5. शब्दकोष|

"जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कही न कही दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुलता है।"

छात्रावास

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा नवीन पुनर्गठित महाविद्यालय है| वर्तमान में यह छात्रावास (जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा) के परिसर में ही संचालित है| इसलिए छात्रावास सम्बन्धी सम्पूर्ण सुविधाएँ कला संकाय की छात्राओं के लिए फिलहाल पूर्ववर्ती वर्षों की भाँति ही यथावत् है |

विशेष: छात्राओं के लिये महाविद्यालय परिसर में ही छात्रावास अवस्थित है| इसके नवनिर्मित भवन में 100 छात्राओं के लिए स्थान उपलब्ध है| जिसमें मैस, कॉमन रूम, डाइनिंग रूम, टी.वी. सहित स्वागत कक्ष, जिम, खेलकूद कक्ष, मैदान एवं अतिथि गृह की सुविधा उपलब्ध है| छात्रावास के संचालन हेतु राज्य सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता| अतः छात्रावास का समस्त संचालन भोजन -सुविधा सहित सहकारिता आधार पर छात्राओं द्वारा एकत्र राशि से एवं छात्राओं द्वारा ही किया जाता है| छात्रावास में रहने की इच्छुक छात्राएं इस हेतु फॉर्म भरेंगी| छात्रावास में प्रवेश या नवीनीकरण के समय छात्रायें माता-पिता/संरक्षक को साथ लेकर ही समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करें| छात्रावास में प्रवेश चाहने वाली छात्राओं के लिये निम्नांकित नियमों की पालना आवश्यक है-

1. महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित छात्राओं को ही प्रवेश दिया जायेगा| रिक्त स्थान रहने पर सरकारी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की छात्राओं को भी प्रवेश दिया जा सकता है|

2. प्रवेश, योग्यता एवं आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि एवं गृह स्थान की दूरी के आधार पर ही दिया जायेगा|

3. छात्रावास में बिना सूचना के 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने वाली छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा|

4. सत्र के आरम्भ में ही पूरे सत्र का छात्रावास शुल्क देय होगा| 30 सितम्बर के बाद शुल्क नहीं लौटाया जायेगा|

5. छात्रावास की मैस राशि (एक माह की राशि) छात्रावास में अग्रिम रूप से जमा रहेगी| छात्रा की परीक्षा के अनुसार अन्तिम माह में यह राशि समायोजित कर , शेष राशि वापस कर दी जाएगी| मैस शुल्क में कटौती महाविद्यालय के बन्द होने की स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में नहीं होगी|

6. छात्रावास से बाहर जाने से पूर्व लिखित रूप में छात्रावास अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है|

7. छात्रावास में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता तथा नियम अवहेलना करने वाली छात्राओं का प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है|

8. छात्रावास के आवेदन फॉर्म की समस्त रिक्तियों को पूर्णरूपेण भरना आवश्यक है| छात्रावास के आवेदन पत्र में स्थानीय संरक्षक का स्थानीय पता एवं सम्पर्क नम्बर का उल्लेख अनिवार्य होगा, इसके अभाव में फॉर्म निरस्त किया जा सकता है|

ज्ञान ही शक्ति है | प्रत्येक परिवार एवं समाज में शिक्षा, प्रगति का आधार है |

महाविद्यालय में संचालित सह शैक्षणिक गतिविधियाँ

युवाओं को रोजगार हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में निजी भागीदारी से इस सत्र में प्रत्येक छात्रा को एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोवरिंग, रेंजरिंग इत्यादि में से किसी एक गतिविधि का चुनाव कर उससे सक्रिय रूप से सम्बद्ध होना आवश्यक है| महाविद्यालय स्तर पर सत्र के प्रारम्भ में ही की सत्र भर की गतिविधियों का कलैण्डर तैयार कर कार्यक्रम सम्पन्न किये जाएंगे| स्नातक अन्तिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर में अध्ययन कर रही सभी छात्राओं के लिए भी के कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा| महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु सह शैक्षणिक गतिविधियाँ संचालित की जाती है|

''दिशा'' परामर्श केन्द्र

छात्राओं एवं महिलाओं की सामाजिक व मानसिक समस्याओं के निदान हेतु 'दिशा' नामक परामर्श केन्द्र संचालित है| इस केन्द्र में समय-समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है| छात्राएं अपनी मन की उलझन काउंसलर को बता सकती हैं| प्राप्त जानकारी और परामर्श को गोपनीय रखा जाता है|

व्यक्तित्व विकास, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निदान और समाज के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में यह केन्द्र विशिष्ट स्थान रखता है|

छात्रा परामर्श केन्द्र

महाविद्यालय में छात्राओं के मार्गदर्शन हेतु परामर्श केन्द्र स्थापित है| यह छात्राओं को उनके विषय से सम्बन्धित कॅरियर विषयक एवं उनकी आवश्यकता तथा जिज्ञासा के अनुरूप परामर्श प्रदान कर उनका पथ प्रशस्त करता है|

साथ ही विभिन्न शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी गठित है।

1. यौन उत्पीड़न निवारण एवं रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ
2. एस.सी., एस.टी., ओ,बी,सी., शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
3. एंटी रैंगिंग स्क्वाड
4. अनुशासन समिति

विभिन्न परिषद्

(1) स्नातकोत्तर परिषद् (सभी विषय)

(2) स्नातक परिषद्

(3) नाट्य परिषद् (सांस्कृतिक मंच)

(4) साहित्यिक मंच

(5) पर्यावरण परिषद

(6) निर्वाचन साक्षरता क्लब

(7) मानव अधिकार क्लब

सह शैक्षणिक गतिविधियाँ

1. खेलकूद
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी)

(अ) आर्मीविंग (ब) एयरविंग

3. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)- तीन इकाइयां
4. रेन्जरिंग
5. महिला अध्ययन प्रकोष्ठ
6. महिला नीति
7. योजना मंच
8. छात्रा संघ
9. एक भारत श्रेष्ठ भारत
10. उपभोक्ता क्लब
11. नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ
12. करियर काउन्सलिंग एवं प्लेसमेंट सेल

मुख्यमंत्री फ्लैगशिप योजनाएँ

उड़ान योजना

राजस्थान सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2021- 22 में प्रदेश की सभी युवतियों एवं महिलाओं को निशुल्क सेनेटरी पैड वितरण की घोषणा मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत द्वारा की गई थी| "आई एम शक्ति उड़ान योजना" अंतर्गत महाविद्यालय में सैनिटरी नैपकिंस का वितरण गत अगस्त माह से छात्राओं को निरंतर किया जा रहा है|

गत सत्र में 43912 सेनेटरी नैपकिन पैकेट्स (प्रति पैकेट 6 पैड) का वितरण महाविद्यालय में छात्राओं को किया गया|

सुविधाएँ

विशेष :

(i) रेल एवं बस यात्रा रियायत

(ii) अल्पाहार गृह

(iii) वाहन स्थल

(iv) सुलभ कॉम्प्लेक्स

(v) ऑडिटोरियम

(vi) सेमीनार हॉल/ ज्ञान केन्द्र

(vii) ए.टी.एम.

(viii) बास्केट बॉल ग्राउण्ड

(xi) कम्प्यूटर लैब

(x) सिस्को क्लासरूम

(xi) वॉलीबॉल ग्राउण्ड

विभिन्न छात्रवृत्तियाँ

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

1- योजना

माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक है तथा जिन्हंे कोई अन्य छात्रवृति अथवा प्रोत्साहन राशि नही मिल रही हैं के लिए 500 रूपये प्रतिमाह (5000 रूपये वार्षिक) एवं प्रतिभावन दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिये 1000/- रूपये प्रतिमाह छात्रवृति भुगतान किये जाने की घोषणा की गई है|

लक्ष्य

नवीन एक लाख विद्यार्थी जो पात्रता पूर्ण करते हांे|

- ऐसे समस्त विद्यार्थी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष छात्रवृति स्वीकृत की गई थी तथा जो निरन्तर नियमित रूप से उच्च शिक्षा के संस्थानो में अध्ययन कर रहें है|
- यह योजना का अल्प आय वर्ग के बच्चे में शिक्षा का स्तर बढाने एवं सहायता प्रदान के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है|

2- उद्देश्य:-

इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है|

3- योजना अन्तर्गत लाभ:-

(अ) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा में वरीयता सूची में अल्प आय परिवारों के पात्र छात्र/छात्राओं को 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नही होगा अर्थात अधिकतम 5000/- रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा|

(ब) इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं के अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदत्त किया जावेगा एवं यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा|

(स) दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/- रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नही होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक भुगतान किया जावेगा| इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा

गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4- पात्रता:-

लाभान्वित पात्र छात्र/छात्राओं के अतिरिक्त इस योजना का लाभ उन छात्र/छात्राओं को देय होगा जो निम्न समस्त शर्तों की पूर्ति करते हों: -

(1) जिन्होने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12 वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होनें बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किये हों।

(2) जिनके माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपयें तक होंं।

(3) जो राजस्थान के किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त गैर राज. उच्च/तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हों।

(4) वह राजस्थान का मूल निवासी हों।

(5) उसे भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति अथवा समकक्ष योजना के अन्तर्गत लाभ नही मिल रहा हों।

(6) विद्यार्थी का राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा खाता हों।

(7) उसका आधार कार्ड बना हुआ हों।

(8) जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो , बिना जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) ऑनलाइन आवेदन नही किया जा सकेगा।

(9) दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।

देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना

1- नाम एवं प्रभावित क्षेत्र: -

(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा|

(2) यह नियम राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडें वर्ग में गूर्जर सहित 05 जातियों (यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी) गायरी) पर लागू होगा|

(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होगें|

(4) यह नियम वर्ष 2020-21 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगा|

2- योजना का उद्देश्य:-

राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों (यथा 1. बंजारा, बादलिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गोडलिया 3. गुजर, गुर्जर 4. राईका, रैबरी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी) की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12 वी. कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पद्र्वा की भावना विकसित करने उच्च, अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है|

3- योजना के अन्तर्गत देय लाभ:-

(1) स्कूटी वितरण: - राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछडे वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होनें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12 वीं (सी0 सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णयता 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नात्क डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययरत हो, उनको 1500 (एक हजार पांच सौ रूपये मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी| नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी| शेष छात्राओं के आवेदन पत्रो को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी| यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नही होते है , तो जितने आवेदन क्रम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी|

स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष की बीमा , दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्र को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा| केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकला हुआ होना चाहिए|

(2) प्रोत्साहन राशि:- राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछडे वर्ग की वे छात्राऐं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा 12वीं (सी0 सैकेण्डरी) जो छात्राऐं स्कूटी स्वीकृति की वरियता सूची में नही आ पाती है उन्हें) स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमश: पूर्णयता 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है| उन्हें क्रमश: प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में रू 10,000/-(रू दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी0जी0 डिग्री प्रवेश वर्ष) में रू. 20,000/- (रू. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू. 20,000/-(बीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी|

उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना/अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा| यदि वे इस योजना का लाभ नही ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी|

4- पात्रता:- निम्न शर्तो की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा: -

(1) योजना का लाभ विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछडे वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्याल/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभागो , कृषि विश्वविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों , संस्कृत विश्वविद्यालयों/संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है|

(2) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति की वार्षिक आय रू. 2,50,000/- (रू. दो लाख पचास हजार) से कम होनी चाहिए|

(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा|

(4) जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो, उन्हे इस योजना के तहत स्कूटी/प्रोत्साहन राशि देय नही हैं|

(5) 12 वीं (सी0 सैकण्डरी) तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अन्तिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नही है|

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020

राज्य के जिला डूगंरपुर की कालीबाई भील ने शिक्षा के लिये अपना जीवन समार्पित किया| शिक्षा के क्षेत्र में उनके अविस्मर्णीय एवं ऐतिहासिक योगदान को श्रद्धांजलि देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दिनांक 29.07.2019 के वित्त एवं विनियोग विधयेक के प्रत्युत्तर में यह घोषणा की, कि डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिये 19 जून 1947 को अपने प्राणो का बलिदान करने वाली बाला कालीबाई वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई जावेगी| इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनूसूचित जाति/अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जावेगा |

उक्त घोषणा की अनुपालना में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्कूटी वितरण योजनाओं को सम्मिलित कर एवं अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं को शामिल करते हुए एकीकृत स्कूटी वितरण योजना लागू की जावेगी|

(1) योजना का नाम एवं उद्देश्य -

1. राजस्थान राज्य के राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 वीं तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पद्र्वा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्ररित करने के उद्देश्य से उक्त योजना राज्य में संचालित की जा रही हैं|
2. योजना का नाम कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना होगा|
3. यह योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 (01 अप्रैल, 2020) से प्रभावी होगी अर्थात वर्ष 2020 में कक्षा 12 वीं का घोषित परिणात के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी|
4. इस योजना का नोडल विभाग, आयुक्त कालेज शिक्षा विभाग होगा|

(2) योजना के अन्तर्गत देय लाभ- योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित लाभ शामिल है -

1. स्कूटी
2. स्कूटी के साथ -
   - छात्रा को सुपुर्द करने तक का (रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हंस्तातरण) परिवहन व्यय
   - एक वर्ष का सामान्य बीमा,
   - पांच वर्षीय तृतीय पक्षकार बीमा ,
   - दो लीटर पेट्रोल (वितरण के समय एक बार)
   - एक हेलमेट
   -

नोट:- स्कूटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 5 वर्ष से पूर्व स्कूटी का विक्रय/बेचान नही किया जा सकेगा|

(3) योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात -

1. माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी|

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय/निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जा सकेगी|

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राजस्थान के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछडा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त , घुमन्तु एवं अद्र्वघुमन्तु समुदाय/गिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा वेब पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर SCHOLARSHIP SJE APP अथवा मोबाईल ऐप SJED APPLICATIONS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) तथा संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पंजीयन/अद्यतनीकरण करने हेतु निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है: -

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
1-	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानो द्वारा नवीन पंजीयन करवाने तथा पूर्व में पंजीकृत संस्थाओं की मान्यता एवं पाठ्याक्रमवार फीस स्ट्रक्चर अद्यतन करने हेतु		
2-	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योतनान्तर्गत छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन एवं आवेदन करने हेतु (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त)		

छात्रवृति पोर्टल पर नवीन शौक्षणिक सत्र 2023-24 उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में आॅनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा -निर्देश जारी किए जाते है:-

1. आय सीमा:-

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति पिछडा वर्ग (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग - SBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC), विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु (DNT) तथा गिरासी एवं भिश्ती समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रू. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे|

(ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC), अन्य पिछडा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु (DNT) में निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , अन्तयोदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र , स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वंय, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र , विशेष योग्यजन स्वंय, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र| उक्त श्रेणी के गत परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जावेगी|

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रू. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगें|

अनिवार्य उपस्थिति नियम

विद्यार्थियों को संबंधित कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययन करना है| विद्यार्थी के लिए सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक कक्षाओं में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है| कोटा विश्वविद्यालय, कोटा की नियमावली में इसके लिए नियम दे रखे हैं|

उपस्थिति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश एफ 8/2/अकाद/निकाशी /उन/97/1154; दिनांक 9.11.1997 के निर्देशानुसार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक कक्षाओं में पृथक्-पृथक् रूप में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है| ऐसा विद्यार्थी जो निर्धारित 75 प्रतिशत उपस्थिति प्राप्त नहीं कर पायेगा उसे परीक्षा देने से रोक दिया जायेगा|

टिप्पणी: जो विद्यार्थी एन.सी.सी. परेड अथवा कैम्प, अन्तर्महाविद्यालय अथवा राज्य स्तरीय खेलकूद , सांस्कृतिक अथवा युवा समारोह में बाहर भाग लेने जाते हैं उन्हें उतने दिन उपस्थित समझा जायेगा जितने दिन वे ऐसे कार्यक्रम में भाग लेते हैं|

0.145 उपस्थिति में छूट का प्रावधान

(क) सत्र में बीमार विद्यार्थी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य प्रत्येक विषय में कुल उपस्थिति के अधिकतम 3 प्रतिशत की छूट दे सकता है|

(ख) नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के कारण मिडटर्म टेस्ट तथा आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय ऐसे विद्यार्थियों को अधिकतम 6 प्रतिशत की छूट दे सकता है| स्नातक कक्षाओं में ऐसे नियमित विद्यार्थी जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है वे स्वयंपाठी के रूप में उसी वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगें इसके लिए उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा कराना होगा|

(घ) स्नातकोत्तर विद्यार्थी को उस प्रश्न पत्र में नियमित छात्रा के रूप में परीक्षा देने से वंचित कर दिया जायेगा जिसमें उसकी 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति है| विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों को उस प्रश्न पत्रों में अनुपस्थित माना जायेगा| ऐसे विद्यार्थी आगामी परीक्षा में पूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकेंगे| वे विद्यार्थी जिनके प्रायोगिक विषय नहीं हैं वे चाहे तो उसी वर्ष स्वयंपाठी के रूप में परीक्षा दे सकते हैं|

पुरस्कार

महाविद्यालय में समय-समय पर विभिन्न परिषदों तथा छात्रसंघ के तत्वावधान में विभिन्न सह-शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, गतिविधियां आयोजित की जाती हैं| शैक्षणिक योग्यता तथा विभिन्न गतिविधियों में अग्रणी छात्राओं को विभिन्न पदक (मैडल्स) व पुरस्कार दिये जाते हैं|

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में प्रदान किये जाने वाले पदक एवं पुरस्कार इस महाविद्यालय की नियमित छात्राओं को ही दिये जाते हैं, पूर्व विद्यार्थियों को नहीं|
2. छात्रा द्वारा महाविद्यालय की समस्त परीक्षायें प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है|
3. अनुशासनहीनता/दुर्व्यवहार की दोषी छात्रायें किसी भी पदक एवं पुरस्कार के योग्य नहीं होंगी|
4. यदि किसी पुरस्कार के लिये काई भी योग्य पात्रताधारी छात्रा नहीं है तो वह पुरस्कार देना अनिवार्य नहीं होगा|

	शीर्षक	अर्हता
1.	श्री मदन मोहन शास्त्री स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर संगीत (गायन) में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
2.	श्री नवीन चन्द्र कुलश्रेष्ठ स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी साहित्य में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
3.	श्रीमती राजेश माथुर स्मृति जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
4.	श्रीमती गिरजा गुप्ता जयपात्र	स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
5.	श्रीमती राजेश माथुर स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर अर्थशास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
6.	सुश्री स्वाति बिन्दु कारिया स्मृति पुरस्कार (नगद राशि के रूप में)	स्नातक स्तर पर प्रत्येक कक्षा में संस्कृत में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
7.	श्रीमती अनिता खन्ना स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय में

		सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
8.	लॉयनेस रजनी गुप्ता जयपात्र	स्नातक स्तर पर दर्शन शास्त्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
9.	लॉयनेस रजनी गुप्ता जयपात्र	स्नातक स्तर पर गृह विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त छात्रा
10.	श्री बी.एम. बाली स्मृति पुरस्कार	'बेला मलिक' सुगम संगीत में सर्वश्रेष्ठ छात्रा
11.	महाविद्यालय प्रदत्त	सर्वोत्तम एन.सी.सी. कैडेट (आर्मी विंग)
12.	महाविद्यालय प्रदत्त	सर्वोत्तम एन.सी.सी. कैडेट (एयर विंग)
13.	इकबाल फ़ातिमा स्मृति	बी.ए. में उर्दू विषय सहित सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को 1100/- का नगद पुरस्कार
14.	इकबाल फ़ातिमा स्मृति जयपात्र	स्नातक स्तर पर उर्दू विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को 1100/- का नगद पुरस्कार
15.	डॉ. ए.क्यू. खान पुरस्कार	कला संकाय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा
16.	महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त	सर्वश्रेष्ठ रेंजर छात्रा
17.	महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त	सर्वश्रेष्ठ एन.एस.एस स्वयंसेविका

नोट: कला संकाय के उपरोक्त लिखित व्यक्तिशः पुरस्कार/पदक मूल महाविद्यालय (जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय, कोटा) से प्राप्त होने पर ही दिया जाना संभव हो पाएगा|

सर्वश्रेष्ठ छात्रा-चयन का नियम

इस हेतु छात्रा को निर्धारित तिथि तक अपने सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियों सहित आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस पुरस्कार के लिये 100 प्रतिशत अंकों का विभाजन निम्न प्रकार होगा-

1. **शैक्षणिक उपलब्धियां - 45 प्रतिशत**
   - विगत वर्ष - द्वितीय वर्ष/स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की छात्रा हो।
   - न्यूनतम 55% अंक होने आवश्यक हैं तथा निम्न किसी भी एक गतिविधि में जिला स्तर या उससे उच्च स्तर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

2. **सह शैक्षणिक उपलब्धियां - 15 प्रतिशत**
   - महाविद्यालय स्तर का प्रमाण पत्र - 2% (प्रथम पुरस्कार प्राप्त छात्रा)
   - अन्तर्विश्वविद्यालय स्तर का प्रमाण पत्र - 4%
   - जिला/संभाग स्तर का प्रमाण पत्र - 6%
   - राज्य स्तर का प्रमाण पत्र - 8%
   - राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र - 10%
   - अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र - 15%
3. **खेलकूद/एन.सी.सी./एन.एस.एस./रेंजरिंग- 15 प्रतिशत**
   - उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही चयन होगा।
4. **सांस्कृतिक उपलब्धियां - 15 प्रतिशत**
   - उपर्युक्त नियमों के अनुसार ही चयन होगा
5. **वर्षपर्यन्त व्यवहार/अनुशासन - 10 प्रतिशत**

उपर्युक्त गतिविधियों में दो छात्राएँ समान स्तर पर होने पर -

- उच्च कक्षा मे अध्ययनरत छात्रा को वरीयता दी जाएगी।
- समान कक्षा में होने पर अधिक गतिविधियों में भाग लेने वाली छात्रा को वरीयता दी जाएगी।
- फिर भी, समान स्थिति होने पर गत सत्र में उत्तीर्ण कक्षा में अधिक प्रतिशतांक प्राप्त छात्रा को वरीयता दी जाएगी।

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा

सत्र 2024-25

हेल्प डेस्क

(प्रवेश सहायता काउंटर)

दूरभाष संपर्क: 0744- 2324075

पूछताछ के लिए सम्पर्क करे

श्रीमती प्रेरणा शर्मा (प्रभारी)

प्रो0 (डॉ.) श्रुति अग्रवाल (सदस्य)

डॉ जीतेश जोशी (सदस्य)

डॉ धर्म सिंह मीणा (सदस्य)

राजकीय कला कन्या महाविद्यालय, कोटा

महाविद्यालय परिवार 2023-24

प्राचार्य – प्रो0 (डॉ.) सीमा चौहान

अंग्रेजी विभाग

1. श्रीमती सपना कोतरा
2. डॉ. दीप्ति जोशी

हिन्दी विभाग

1. प्रो0 (डॉ.) प्रभा शर्मा
2. प्रो0 (डॉ.) मनीषा शर्मा
3. प्रो0 (डॉ.) हिमानी सिंह
4. डॉ. कविता मीणा
5. डॉ. यशोदा मेहरा

संगीत विभाग

1. श्रीमती प्रेरणा शर्मा
2. प्रो0 (डॉ.) राजेन्द्र माहेश्वरी
3. प्रो0 (डॉ.) पुनीता श्रीवास्तव
4. श्री संतोष कुमार मीणा

गृह विज्ञान विभाग

1. प्रो0 (डॉ.) शशि शर्मा
   (प्रति नियुक्ति पर)
2. प्रो0 (डॉ.) दीपा स्वामी
3. प्रो0 (डॉ.) श्रुति अग्रवाल

संस्कृत विभाग

1. प्रो0 राजमल मालव

इतिहास विभाग

1. प्रो0 (डॉ.) बबीता सिंघल
2. श्रीमती मिथलेश सोलंकी

जी.पी.ई.एम. विभाग

1. प्रो0 (डॉ.) बिन्दु चतुर्वेदी

अर्थशास्त्र विभाग-

1. श्रीमती मीरा गुप्ता
2. प्रो0 (डॉ.) सुनीता शर्मा
3. श्रीमती कविता मकवाना
4. (डॉ.) धर्मसिंह मीणा

राजनीति विज्ञान विभाग

1. प्रो0 (डॉ.) सोमवती शर्मा
2. प्रो0 (डॉ.) श्रद्धा सोरल
3. प्रो0 (डॉ.) उमा बड़ोलिया
4. डॉ. (श्रीमती) बीनू कुमावत

समाजशास्त्र विभाग

1. प्रो (डॉ.) अनिता तम्बोली
2. सुश्री अर्चना सहारे
3. प्रो (डॉ.) त्रिभूनाथ दुबे
4. प्रो (डॉ.) सुबोध कुमार
5. डॉ. (सुश्री) ज्योति सिडाना
6. डॉ. (सुश्री) पारूल सिंह
7. श्रीमती प्रीति मीणा
8. श्री मो. रिज़वान खान
10. डॉ. (श्रीमती) सरोज मीणा (संविदा)

दर्शनशास्त्र विभाग-

1. श्री इरफान अहमद
   (प्रतिनियुक्ति पर)

लोक प्रशासन विभाग

1. डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी यादव
   (प्रतिनियुक्ति पर)
2. श्री रजनीश कुमार जैन

भूगोल विभाग

1. डॉ. जीतेश जोशी

उर्दू विभाग-

1. रिक्त पद

टी.डी.पी. विभाग-

1. डॉ. गिरेन्द्र पाल सिंह

ड्राईंग व पेन्टिंग-

1. डॉ. प्रियंका वर्मा

शारीरिक शिक्षा विभाग-

1. रिक्त पद-1

पुस्तकालयाध्यक्ष

1. रिक्त पद-1

मंत्रालयिक कर्मचारी

सहायक लेखाधिकारी

1. श्री जयसिंह मीणा (AAO-I)

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

1. श्री ललित मोहन परेता

वरिष्ठ सहायक

1. श्री जय प्रकाश मीणा (प्रतिनियुक्ति पर)

प्रयोगशाला सहायक

1. श्री अशोक कुमार गोचर
2. सुश्री आशिमा सिंह

तबला वादक

1. श्री देवेन्द्र कुमार सक्सेना

प्रयोगशाला परिचायक

रिक्त पद -1

सहायक कर्मचारी

1. श्री रामकुमार
2. श्री नितिन कुमार
3. श्री लक्ष्मीचंद

Our College
AT A GLANCE

Our College

At a Glance

Our College

At a Glance